उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

दैनिक भारत कि
तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-१ ला अंक-१७१ वा मंगळवार २१ जनवरी २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

अक्षय शिंदे का एनकाउंटर फर्जी; पांच पुलिसकर्मी दोषी

उच्च न्यायालय में जांच रिपोर्ट पेश

जमीर काज़ी

मुंबई, २० जनवरी:

बदलापुर के आदर्श विद्यालय की दो बच्चियों पर यौन अत्याचार करने वाले अक्षय शिंदे का पुलिस एनकाउंटर फर्जी था। न्यायालय की जांच में यह साफ हुआ है कि पुलिसकर्मियों ने एक झूठी कहानी गढ़कर उसकी हत्या की। पुलिस ने दावा किया था कि शिंदे ने उनकी रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की थी, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है। यह जानकारी ठाणे के न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय में पेश रिपोर्ट में दी गई है।

उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-ढेरे ने सोमवार को इस चर्चित एनकाउंटर मामले की जांच रिपोर्ट पढ़ी। इसमें पुलिस निरीक्षक सहित पांच पुलिसकर्मियों को अक्षय शिंदे की हत्या का दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं।

इस रिपोर्ट के बाद दोषी पांच पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज होना तय है। साथ ही, उस समय एनकाउंटर का समर्थन करने वाले महायुती सरकार के मंत्रियों और नेताओं पर भी विपक्ष ने तीखी आलोचना की है।

अक्षय शिंदे का २३ सितंबर २०२२ को पुलिस वैन में बदलापुर ले जाते समय मुंब्रा बायपास के पास एनकाउंटर किया गया था। अक्षय शिंदे के पिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले की जांच की मांग की थी। न्यायमूर्ति मोहिते-ढेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश ठाणे के न्यायिक दंडाधिकारी को दिए थे।

अक्षय शिंदे को ले जा रहे पुलिसकर्मियों में पुलिस निरीक्षक संजय शिंदे, सहायक निरीक्षक निलेश मोरे, हवलदार अभिजीत मोरे, हरीश तावड़े और वैन चालक को अक्षय शिंदे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

घटना का विवरण

अगस्त २०२२ में बदलापुर पूर्व के आदर्श विद्यालय में एक चार और छह साल की बच्ची के साथ कांट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी अक्षय शिंदे ने यौन शोषण किया। १२ अगस्त को एक बच्ची के साथ और १३ अगस्त को दूसरी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ।

बच्चियां स्कूल जाने से मना कर रही थीं, जिसके बाद उनकी मेडिकल जांच हुई और यह गंभीर मामला सामने आया। परिजनों ने १६ अगस्त को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में १२ घंटे की देरी की।

अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। २३ सितंबर को उसे रिमांड पर ले जाते समय मुंब्रा बायपास के पास पुलिस का दावा था कि उसने सहायक निरीक्षक निलेश मोरे की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और तीन गोलियां चलाईं। इनमें से एक गोली मोरे के पैर पर लगी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें अक्षय शिंदे की मौत हो गई।

पुलिस पर गंभीर आरोप

उच्च न्यायालय ने इस फर्जी एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर कड़ी नाराज़गी जताई। अक्षय शिंदे के वकील ने इस फैसले का स्वागत किया और दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर दोषियों को बचाने की कोशिश की गई तो वे फिर से उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने झूठे सबूत पेश किए और शिंदे को राजनीतिक कारणों से बलि का बकरा बनाया।

जांच के निष्कर्ष

तीन महीने की जांच के बाद पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्षय शिंदे को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस का दावा था कि शिंदे ने वैन में उनकी रिवॉल्वर छीन ली थी और फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक, शिंदे के हाथों के निशान न तो रिवॉल्वर पर मिले और न ही उस बोतल पर जिससे उसने पानी पिया था।एफएसएल रिपोर्ट और घटनास्थल से इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अक्षय शिंदे के माता-पिता द्वारा लगाए गए आरोप सही थे। रिपोर्ट में कहा गया कि पांच पुलिसकर्मियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और शिंदे की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं।

मंत्री
पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन
महाराष्ट्र शासन
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
www.maharashtra.gov.in

दिनांक :

कॅम्प परली वैजनाथ / पीजीएम 1008
तारीख 20.01.2025

शोक संदेश

बीड जिले के तबलीगी जमात के अमीर सैयद नजीब मौलाना के निधन की खबर सुनकर गहरा दुःख हुआ। सैयद नजीब मौलाना सिर्फ बीड जिले में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी जाने जाते थे। उन्होंने अपने काम और प्यार से सबके दिलों में जगह बनाई थी।

मौलाना सैयद नजीब और मुंडे परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। मेरे पिता गोपीनाथजी मुंडे साहब उनसे अक्सर बीड की मरकज मस्जिद में मिलते थे और उनकी दुवा लेते थे ।

इस दुःख की घड़ी में हम पूरे जिले के मुसलमान भाईयो और चाहने वालों के साथ सैयद परिवार के दुःख में सहभागी है।

अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन।

(पंकजा गोपीनाथ मुंडे)

कार-दुचाकी की टक्कर में एक की मौत

शिरूर, २० (प्रतिनिधि): कार और दोपहिया वाहन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा आज (२० तारीख) सुबह करीब ११:४० बजे हिवरसिंगा में हुआ। मृतक का नाम गहिनीनाथ चुडा चेपटे (आयु ६५ वर्ष) निवासी घुगेवाड़ी, तहसील शिरूर कासार बताया गया है।

सोमवार को जब वे दोपहिया वाहन से जा रहे थे, तब हिवरसिंगा में उनकी बाइक की टक्कर स्विफ्ट डिज़ायर कार से हो गई। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव को बीड़ जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

आ.संदीप क्षीरसागरने ली नगरपालिका की समीक्षा बैठक

|| बीड शहर की नागरिक समस्याओं पर दिए निर्देश ||

बीड, २० जनवरी (प्रतिनिधि):

शहर की बुनियादी नागरिक समस्याओं को लेकर आ. संदीप क्षीरसागर ने सोमवार (२० जनवरी) को नगरपालिका की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़कें, नालियां और बिजली जैसे मुद्दों पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। आ. संदीप क्षीरसागर ने पूछा, हर बार काम के लिए धनराशि की कमी का बहाना बनाने वाले अधिकारियों ने नगरपालिका की आय बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए हैं? उन्होंने स्पष्ट किया कि जल आपूर्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही स्वच्छता को प्राथमिकता देने और आय बढ़ाने के लिए तुरंत उपाय करने के निर्देश दिए।

बीड नगरपालिका के मुख्य अधिकारी के कार्यालय में हुई इस बैठक में आ. संदीप क्षीरसागर, पूर्व विधायक सैयद सलीम, मुख्य अधिकारी नीता अंधारे समेत सभी विभाग प्रमुख मौजूद थे। बैठक के दौरान नागरिकों ने भी आ. संदीप क्षीरसागर के सामने शहर की समस्याएं रखीं। आ. संदीप क्षीरसागर और पूर्व विधायक सैयद सलीम ने नगरपालिका की आय बढ़ाने के लिए कुछ उपाय सुझाए और इन्हें लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक में जल आपूर्ति और जल निकासी विभाग, निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, अभिलेख विभाग, कर विभाग, लेखा विभाग, विद्युत विभाग, कंप्यूटर विभाग और नगर योजना विभाग का भी आ. क्षीरसागर ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से शहर की संपत्तियों का पुनरीक्षण सर्वेक्षण नहीं हुआ है। यदि यह सर्वेक्षण हर चार साल में किया जाए तो आय बढ़ाई जा सकती है।

प्रस्तावित उपाय:

इजढ मॉडल पर बनाई इमारतों का उपयोग: कुछ इमारतें जो लंबे समय से बेकार पड़ी हैं, उनका उपयोग कर आय बढ़ाई जा सकती है। पार्किंग की सुविधा: शहर में कहीं भी नगरपालिका की पार्किंग नहीं है। खाली पड़ी जमीन या अनुपयोगी स्थानों पर व्यावसायिक गाले और पार्किंग की सुविधा विकसित की जाए तो इससे आय में वृद्धि हो सकती है। नवाचार योजनाएं: नवीनीकरण योजनाओं के तहत नगरपालिका को धनराशि मिले, इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। कचरा प्रबंधन: जगह-जगह रखी लोहे की कचरा पेटियां जंग खा रही हैं। इनकी खरीद और प्रबंधन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़कें, नालियां और बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल किया जाए और नागरिकों की शिकायतों का तुरंत निवारण किया जाए।

भाजी मंडी की समस्या:

बीड की पुरानी भाजी मंडी में नगरपालिका ने मछली मार्केट के लिए एक इमारत बनाई है। रेडीरेकनर के अनुसार उसका किराया तय किया गया है। लेकिन किराया अधिक होने के कारण व्यापारी वहां दुकानें नहीं ले रहे हैं। अधिकारियों को सुझाव दिया गया कि यदि वह जगह नाममात्र के किराए पर दी जाए तो नगरपालिका की आय में वृद्धि हो सकती है।

साथ ही, पुरानी भाजी मंडी में इजढ मॉडल पर और कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। इस दिशा में नगरपालिका को प्रयास करने चाहिए, जिससे आय में और इजाफा हो सके। यह चर्चा भी बैठक में की गई।

महायुती में नाराज़गी का नाटक सबके सामने!

रायगढ़, नासिक के संपर्क मंत्री पदों पर रोक

जमीर काज़ी
मुंबई:

भारी बहुमत से सत्ता में आई महायुती सरकार में नाराज़गी का नाटक अब खुलकर सामने आ गया है। राज्य में संपर्क मंत्री पद घोषित होने के महज २४ घंटे के भीतर ही रायगढ़ और नासिक जिलों के संपर्क मंत्री पदों पर रोक लगाने की नौबत आ गई है। एकनाथ शिंदे गुट ने इन पदों पर अदिति तटकरे और गिरीश महाजन की नियुक्ति पर खुलकर असंतोष जताया, जिसके चलते यह फैसला लिया गया।

अब सवाल उठता है कि गणतंत्र दिवस पर इन जिलों में झंडा फहराने का काम कौन करेगा? इस पर फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा ने संयमित रुख अपनाया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समय दावोस में आर्थिक सम्मेलन के लिए विदेश में हैं। उनके गैरमौजूदगी में अचानक हालात बदले और रायगढ़ के संपर्क मंत्री के रूप में अदिति तटकरे की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस फिलहाल संयम बनाए रखने की स्थिति में है।

संपर्क मंत्री पद का फैसला पूरी तरह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधिकार क्षेत्र में आता है। महायुती के तीनों वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद ही इन नियुक्तियों को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी थी।

मुख्यमंत्री के विदेश से लौटने के बाद ही इस मुद्दे पर समाधान निकलेगा। फिलहाल इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया न देने का रुख राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनाया है।

शिंदे गुट रायगढ़ के संपर्क मंत्री पद के लिए भरत गोगावले को नियुक्त करना चाहता था। भरत गोगावले काफी समय से इसके लिए तैयारी कर रहे थे। वहीं, नासिक में दादा भुसे और माणिकराव कोकाटे जैसे नेताओं की मौजूदगी के बावजूद गिरीश महाजन को संपर्क मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने से महायुती में असंतोष बढ़ गया है। अब इस समस्या का क्या हल निकलेगा, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं।

शिंदे को मनाने के लिए भाजपा नेता दरे गांव जाएंगे

संपर्क मंत्रियों की सूची सामने आने के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बेहद नाराज़ हो गए और किसी से कुछ कहे बिना अपने मूल गांव सातारा के दरे चले गए।

इससे महायुती में असंतोष की स्थिति और बढ़ गई है। इसे देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे और गिरीश महाजन विशेष विमान से दरे गांव जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, ये दोनों नेता वहां जाकर एकनाथ शिंदे को समझाने का प्रयास करेंगे।

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो राशन कार्ड और राशन नहीं दे रहे हैं-शेख अजीम

अन्याय-अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिति २० जनवरी से करेगी आमरण अनशन

परली वैजनाथ। संवादाता

परली शहर के गरीब मजदूर और वंचित वर्ग के लोगों ने राशन के लिए आवश्यक दस्तावेज तहसील कार्यालय में जमा कर दिए हैं, लेकिन तहसील कार्यालय ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया है। समिति ने मांग की है कि नए दुकान के माध्यम से राशन का वितरण किया जाए और संबंधित दुकानदारों को कोटा बढ़ाकर दिया जाए। साथ ही, वर्ष १९९५ के अनुसार जिन लोगों को राशन मिलता था, उन्हीं लोगों को राशन देने की व्यवस्था की जाए।

तहसील कार्यालय की ओर से अनदेखी किए जाने के कारण अन्याय-अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिति ने २० जनवरी से औरंगाबाद स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने आमरण अनशन करने की घोषणा की है।

पूरा मामला:

समिति ने परली के पूर्ति अधिकारी बाबूराव रुपनर और बालाजी कचरे की जांच कर उन्हें निलंबित करने और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। यह शिकायत पहले भी कई बार दर्ज कराई गई है। गरीब मजदूर, विधवा और वंचित वर्ग के लोगों को शिधा पत्रिका (राशन कार्ड) बनवाकर राशन वितरण की मांग लंबे समय से की जा रही है।

समिति का कहना है कि नए दुकान के माध्यम से राशन वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और संबंधित दुकानदारों को कोटा बढ़ाकर दिया जाए। १२ अगस्त २०२४ को समिति ने आजाद मैदान में आमरण अनशन किया था। इसके अलावा, २३ जनवरी २०२३ और २३ जनवरी २०२४ को भी अनशन किया गया।

तहसील कार्यालय से २७ जनवरी २०२३ को प्राप्त पत्र क्रमांक २०२३/पुरवठा/उपोशन/कावि/०१/२३ के अनुसार, २७ मार्च २०२३ को सभी दस्तावेज जमा कर दिए गए थे। बावजूद इसके, तहसीलदार बाबूराव रुपनर और बालाजी कचरे हर बार अलग-अलग बहाने बनाकर समय बर्बाद कर रहे हैं। आरोप है कि बालाजी कचरे अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर लेन-देन के माध्यम से नए राशन कार्ड बना रहे हैं, लेकिन समिति की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है।

शेख अजीम ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर उन्हें निलंबित करने और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि २० जनवरी २०२५ को औरंगाबाद में संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, जिलाधिकारी बीड, जिला आपूर्ति अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी परली वैजनाथ और तहसीलदार परली वैजनाथ को ईमेल के माध्यम से जानकारी दी गई है।

शेख अजीम, मराठवाड़ा के उपाध्यक्ष, अन्याय-अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिति ने सभी लोगों से इस आमरण अनशन में समर्थन देने और भाग लेने की अपील की है।

शब्दों के मोती से सजा भाषा का बगीचा

बीड (प्रतिनिधि):

संस्कार विद्यालय के पहली और दूसरी कक्षा के मराठी विषय समिति द्वारा भाषा कौशल विकास उपक्रम के तहत पहली कक्षा के लिए अनुलेखन और दूसरी कक्षा के लिए श्रुतलेखन का आयोजन किया गया। छात्रों ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए शब्दों को सही ढंग से लिखा।

इस उपक्रम में विद्यार्थियों ने सुंदर हस्तलिपि का प्रदर्शन करते हुए शब्दों का सटीक लेखन किया। यह आयोजन छात्रों में भाषाई कौशल के विकास के उद्देश्य से किया गया था। इस गतिविधि में श्रवण कौशल, समझने की क्षमता और लेखन की रुचि को विकसित करने जैसे उद्देश्यों को शामिल किया गया।

विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए उपक्रम को पूरा किया। माननीय प्रधानाध्यापिका जाधव ताई और विभाग प्रमुख श्रीमती पारगांवकर ताई के मार्गदर्शन में यह उपक्रम संपन्न हुआ।

मैं बीड कि बेटी हुं, पालक मंत्री पद मिलता तो खुशी होती-पंकजा मुंडे

मुंबई - पिछले कुछ दिनों से बीड़ जिला अच्छी चर्चाओं के केंद्र में रहा है। जिले के संरक्षक मंत्री का पद उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को सौंपा गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा, मैं बीड़ की बेटी हूं और सेवा करना चाहती थी। अगर मुझे बीड़ की सेवा करने का अवसर मिलता, तो मुझे बहुत खुशी होती। साथ ही बीड़ के लोगों को भी बहुत खुशी होती। किसी भी संवैधानिक पद पर न रहते हुए भी मैंने पांच साल तक बीड़ की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम किया, पंकजा मुंडे ने दावा किया।

आगे उन्होंने कहा, मेरा पांच साल का कार्यकाल बीड़ के इतिहास में एक प्रगतिशील चरण के रूप में याद किया जाएगा। यह एक ऐसा कार्यकाल था जिसे कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता। जो भी निर्णय लिया गया है, मैं उसमें असहमति व्यक्त नहीं करूंगी। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, उसमें मैं सबसे अच्छा काम करने की भूमिका में हूं, उन्होंने जोड़ा।

एकनाथ शिंदे की जगह नया 'उदय' आने की संभावना: विजय वडेट्टीवार

विशेष प्रतिनिधि
मुंबई:

महायुती सरकार में नाराज़गी का नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं। क्या भाजपा को उनकी अब जरूरत नहीं रही? जैसे उद्धव ठाकरे का गुट तोड़कर शिंदे को लाया गया था, वैसे ही अब शिंदे गुट में से नया 'उदय' उभर सकता है। यह संकेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को दिया। उन्होंने कहा कि संपर्क मंत्री पद को लेकर शिवसेना में असंतोष है और इस समय शिंदे अपने हिस्से में कुछ और हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में महायुती को भारी बहुमत मिला, इसके बावजूद इस सरकार में अंदरुनी कलह जारी है। पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खींचतान हुई, फिर संपर्क मंत्रियों की नियुक्ति में देरी हुई, और अब नियुक्त किए गए संपर्क मंत्रियों पर २४ घंटे के भीतर रोक लगाने की नौबत आ गई। इससे साफ है कि सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।

वडेट्टीवार ने कहा, आज संपर्क मंत्री बदले गए, कल मंत्री और फिर उपमुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं। यह स्थिति देखकर जनता को ही इस सरकार को स्थगित करना पड़ेगा।

उन्होंने आगे कहा, इन तीनों दलों में जिले के विकास से ज्यादा इस बात की होड़ मची है कि कौन जिले में फायदा उठाएगा। सरकार का ध्यान न तो लाड़की बहनों को २१०० रुपये देने पर है, न ही शेतकऱ्यों (किसानों) की कर्जमाफी पर। उल्टा लाड़की बहनों के लाभार्थियों की संख्या कम की जा रही है। यह सरकार सिर्फ आपस में झगड़कर महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम कर रही है।

वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि महायुती सरकार में जारी खींचतान और जनता की अनदेखी से यह साफ हो रहा है कि यह सरकार स्थिर नहीं है और जनता को जल्द ही इसका समाधान करना होगा।

बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में विशेष सरकारी वकीलने पुलिस पर अविश्वास के चलते केस से हटने का फैसला किया

मुंबई, २० जनवरी (एजेंसी)

पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में नियुक्त विशेष सरकारी वकील एडवोकेट शोएब मेमन ने मुंबई पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस केस से अलग होने का फैसला किया है। एक वकील ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की।

सिद्दीकी को १२ अक्टूबर को मुंबई के उपनगरीय इलाके में उनके कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिटी क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब तक २६ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शूटर, हथियार सप्लाई करने वाले, फाइनेंसर और हत्यारों को लॉजिस्टिक मदद देने वाले शामिल हैं। इस मामले में जनवरी में कड़े मकोका कानून के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है।

एडवोकेट शोएब मेमन ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक पत्र लिखा है (जिसकी प्रति यूएनआई के पास मौजूद है)। पत्र में उन्होंने कहा है कि उनका केस से हटने का फैसला जांच अधिकारियों के साथ संवाद की कमी और चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया से संबंधित चिंताओं के कारण जरूरी हो गया।

एडवोकेट मेमन ने अपने पत्र में कहा, मुझे किसी भी तरह की लिखित जानकारी या केस की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं दिया गया, जिससे मुझे यह विश्वास होने लगा कि मेरी नियुक्ति को गंभीरता से नहीं लिया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का यकीन है कि इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें मास्टरमाइंड के खिलाफ उचित आरोप नहीं लगाए गए हैं।

मेमन ने आरोप लगाया कि मेरी चिंताएं इस तथ्य से और बढ़ गई हैं कि मुझे केस से संबंधित कोई दस्तावेज़ प्रदान नहीं किए गए और चार्जशीट दाखिल करने में मेरी राय को न तो मांगा गया और न ही माना गया।

एडवोकेट मेमन ने कई हाई-प्रोफाइल केस संभाले हैं, जिनमें महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका), प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां अधिनियम (उजऋएझजड-) जैसे मामले शामिल हैं।उन्होंने यह अफसोस व्यक्त किया कि जांच अधिकारियों ने न तो उनसे सलाह ली और न ही उनकी कानूनी विशेषज्ञता का उपयोग किया।

एडवोकेट मेमन द्वारा पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस को लिखे गए पत्र में कहा गया, सहयोग और पारदर्शिता की कमी ने मेरे कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। मैं विशेष सरकारी वकील के रूप में काम करने के लिए अपनी सहमति वापस लेने को मजबूर हूं, क्योंकि मैं अपने विवेक के अनुसार इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता।

बीड जिले के दस सरपंचों सहित ४३१ ग्राम पंचायत सदस्यों की सदस्यता रद्द

जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर जिलाधिकारी की कार्रवाई

बीड, २० जनवरी (प्रतिनिधि):

आरक्षित सीट से चुने गए सदस्यों को चुनाव के बाद १२ महीने के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इस नियम का पालन न करने के कारण बीड जिले के दस सरपंचों सहित करीब ४३१ ग्राम पंचायत सदस्यों पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई की है। इन सदस्यों की ग्राम पंचायत सदस्यता रद्द करने का आदेश जिलाधिकारी अविनाश पाठक ने जारी किया है।

बीड जिले में २०२० के बाद अलग-अलग ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे। ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले और चुने गए सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे १२ महीने के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर उनकी सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जाती है, यह प्रावधान ग्राम पंचायत अधिनियम में है। इसके बावजूद कई सदस्यों और सरपंचों ने अभी तक जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

इन सभी के खिलाफ अब बीड के जिलाधिकारी ने कार्रवाई की है। जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण सात तालुकों के लगभग ४३१ ग्राम पंचायत सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इनमें दस सरपंच भी शामिल हैं।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com